

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़

क्रमांक-भू.अ./20 /

दिनांक- / / 20

विषय:

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री राज पिता देवा
रोलारेड प.ह. रोलारेड के राजस्व ग्राम रोलारेड में सामाजिक संवत् 2078-81
की खाता संख्या 85.481 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम राज किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम राज को अंकन राजस्व रिपोर्ट में किया जाना
उचित है। दोनों जातियाँ (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
जाति संशोधन की स्थिति में राज. कार्रकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़

क्रमांक-शेडर/2025/ 865

दिनांक-17/10/2025

विषय:

पटवार हलका रोलारेड

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने संबंध।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 135

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री राज पिता देवा
राजस्व ग्राम रोलारेड प.ह. रोलारेड की खाता संख्या 85.481
जाति/नाम राज दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति के रूप में रिपोर्ट
पटवारी प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ़ द्वारा भी जाति
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री राज पिता देवा
जाति/नाम राज एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 135 के तहत संशोधित
करने की रकीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. राजस्व रि.
उपरोक्तानुसार अगल की पालना पेश करें।

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ़ पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़
विशेष अधिकारी
चित्तौडगढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़